



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर-208024
Kalyanpur, Kanpur-208024
Fed. Affiliation, NCC, Maitangi, New College
दिनांक: 28/02/2020

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./अनापत्ति/29/2020

अनापत्ति

शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक: 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या-1963/सत्तर-2-2013-16(165)/2012 टीसी दिनांक: 11.12.2013, शासनादेश संख्या-710/सत्तर-2-2014-16(165)/2012 टीसी, दिनांक: 14 नवम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या-23/2016/772/सत्तर-2-2016-16(116)/2015 टीसी-II दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016 के क्रम में अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक: 28.02.2020 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी पं० विश्वनाथ पाण्डेय मेमोरियल शिक्षण संस्थान, सुरार, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तावित पं० विश्वनाथ पाण्डेय महाविद्यालय, सुरार, कानपुर नगर को स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र विषयों तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश दिनांक: 09.08.2012 के क्रम में उपजिलाधिकारी, सदर, कानपुर नगर (जिलाधिकारी, कानपुर नगर के नामित सदस्य) के पत्रांक: 2149/एस०टी०-जॉच/2019 दिनांक: 02 मार्च, 2019 के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है-

1. पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शाई गई भूमि ग्राम:-सुरार, परगना:-कानपुर सदर, तहसील:-कानपुर सदर व जनपद:-कानपुर नगर में स्थित गाटा संख्या-1113अ/0.9050हे० व 1113ब/0.1280हे० कुल रकबा 1.0330हे० अर्थात् 10330 वर्गमीटर पर निर्मित भवन में ही किया जाएगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
2. यह अनापत्ति समिति के नामित सदस्य, उपजिलाधिकारी, सदर, कानपुर नगर की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति दिनांक: 02 मार्च, 2019 के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधित: अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि में विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
3. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश सं०-3075/सत्तर-2-2002-2 (166)/2002 दिनांक 27.09.2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एवं न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।
5. पाठ्यक्रम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार सहायता/राजसहायता की मांग नहीं की जाएगी।
6. संस्था द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
7. शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक: 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त अनापत्ति पर/सम्बद्धता प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्बाधन (क्लीयरन्स) प्रस्ताव पर सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जाएगी। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि प्रवेश किये जाते हैं तो ऐसे प्रवेश वैध नहीं होंगे तथा इसके सम्बन्ध में कोई भी दावा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों/प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

डॉ०(अनिल कुमार यादव)
कुल सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. प्रबन्धक/सचिव, पं० विश्वनाथ पाण्डेय महाविद्यालय, सुरार, कानपुर नगर।
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

डॉ०(अनिल कुमार यादव)
कुल सचिव